प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील विविध क्रमांक 14/2024

1- कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

3- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

... अपीलार्थीगण

विरुद्घ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1- प्रमोद वर्मा, पिता स्व. श्री तिलक राम वर्मा, निवासी- ग्राम मेंडरा, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2- मुकेश वर्मा, पिता स्व. श्री तिलक राम वर्मा, निवासी- ग्राम मेंडरा, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

... **प्रत्यर्थीगण**

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री रतन पुष्टी, शासकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता

खंडपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर आदेश

द्वारा, संजय एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

11.12.2024

1. अन्तर्वर्ती आवेदन क्रमांक 02/2024 पर सुनवाई की गई, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एतस्मिन पश्चात जिसे "अधिनियम, 2013" के रुप में संदर्भित किया गया है) की धारा 74 के अधीन प्रस्तुत एक आवेदन है। इसमें भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरी (छ.ग.) (एतस्मिन पश्चात जिसे "प्राधिकारी" के रुप में संदर्भित किया गया है) द्वारा संदर्भ प्रकरण क्रमांक 38/2018 में दिनांक 03/10/2023 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करने में हुए 177 दिन के विलंब को क्षमा करने की मांग की गई है।

2. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.2023 को आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किए जाने के बाद, इसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु भेजा गया था। विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, वर्तमान अपील दिनांक 05.04.2020 को प्रस्तुत की गई है, अतः सद्भावी रूप से हुई उक्त विलंब को क्षमा किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूंकि अपील अधिनियम, 2013 की धारा 74 के अधीन निर्धारित अवधि के काफी उपरांत प्रस्तुत की गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। अपने समर्थन में, उन्होंने **(2010) 5 एससीसी 23** में प्रकाशित **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल विरुद्घ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व अन्य** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया, और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य विरुद्घ श्रीमती ओमलता अग्रवाल**, प्रथम अपील विविध क्रमांक 09/2024 (दिनांक 03.09.2024 को निर्णीत प्रकरण में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया।

4. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों पर विचार करने के लिए, अधिनियम, 2013 की धारा 74 के अधीन निर्धारित प्रावधानों का परीक्षण करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:-

"74. उच्च न्यायालय को अपील- (1) धारा 69 के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित अपेक्षक निकाय या कोई व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायलय को अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था, तो वह साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतिर उसके फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासाध्य शीघ्रता से की जाएगी और उस अपील का निपटारा उस तारीख से, जिसको अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, छह मास के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता के भीतर अर्जित की गई या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि स्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उक्त प्रावधान की उप-धारा (1) के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय की तारीख से अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है। इसके परंतुक के आधार पर, विलंब को तब क्षमा किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि अपीलार्थी के पास अपील न कर पाने का कोई पर्याप्त कारण था, किंतु इसे 60 दिन की अतिरिक्त अवधि से अधिक क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि कुल 120 दिन की अवधि के बाद की विलंब को क्षमा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

6. वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अधीन प्राधिकारी द्वारा 03.10.2023 को पारित किया गया है। अतः, आक्षेपित अधिनिर्णय को

अधिनियम, 2013 की धारा 74 की उप-धारा (1) के आधार पर प्रदान की गई 60 दिन की अवधि के भीतर, अर्थात 02.12.2013 तक चुनौती दी जानी आवश्यक थी और/या, इसे उक्त 60 दिन की अवधि के बाद भी विलंब क्षमा के आवेदन के साथ पर्याप्त कारण बताते हुए प्रस्तुत किया जा सकता था कि आक्षेपित अधिनिर्णय पारित होने की तिथि से निर्धारित 60 दिन की अवधि के भीतर इसे क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। किंतु, उक्त 60 दिन की अवधि की समाप्ति से अगले 60 दिन की अतिरिक्त अवधि, अर्थात 02.12.2023 के बाद के विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इसमें वर्णित परंतुक के अनुसार, अपील विलंब क्षमा के आवेदन के साथ अधिकतम दिनाँक 02.03.2024 को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती थी। यद्यपि, आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दिनाँक 05.04.2024 को प्रस्तुत की गई है, जो 120 दिन की कुल अवधि से काफी अधिक है। उपरोक्त प्रावधान में निहित अधिदेश के आलोक में, इस अपील को प्रस्तुत करने में हुए 177 दिन के विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपरोक्त निष्कर्ष केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य विरुद्ध कूल फोम प्राइवेट लिमिटेड, (2024 एससीसी ऑनलाइन केरल 863 में प्रकाशित) प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों से पुष्ट होता है, जिसमें अधिनियम, 2013 की धारा 74 के अधीन निर्धारित उक्त प्रावधान पर विचार करते हुए, कण्डिका-2 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है, जो वर्तमान प्रयोजन के लिए सुसंगत है:—

> "अधिनियम की धारा 74(1) का परंतुक उस अधिकतम समय सीमा के संबंध में स्पष्ट है, जिसके भीतर उच्च न्यायालय द्वारा किसी अपील पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 74(1) यह उल्लेख करती है कि अपील अधिनिर्णय की तिथि से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। परंतुक यह प्रावधान करता है कि यदि 60 दिन की अवधि के बाद पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो उच्च न्यायालय अपील स्वीकार कर सकता है,

बशर्ते कि अपील अगले 60 दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हो। इसका अर्थ यह है कि वह अधिकतम अवधि, जिसके भीतर उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर विचार किया जा सकता है, 120 दिन है। अधिनिर्णय की तिथि से 120 दिन के बाद प्रस्तुत की गई किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास अधिनिर्णय की तिथि से गिने गए 60 दिन की समाप्ति के बाद, अगले 60 दिन से अधिक के विलंब को क्षमा करने की शक्ति नहीं है।"

8. आगे यह भी देखा जाना चाहिए कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के परंतुक के अधीन निर्धारित समविषयक प्रावधान पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्याया-लय द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्घ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व अन्य, (2010) 5 एससीसी 23** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 120 दिन की अवधि के बाद के विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। कण्डिकाएँ 24 से 26, 29 व 32 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं, जो इस प्रकार हैं:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"24. धारा 111(1) और (2) यह निर्धारित करती हैं कि इस अधि-नियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपयुक्त आयोग द्वा-रा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर अधिकरण में अपील कर सकता है। धारा 111(5) यह अधिदेश देती है कि अधिकरण अपील का यथासंभव शीघ्रतापूर्वक निराकरण करेगा और प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर उसे अंतिम रूप से निपटा-ने का प्रयत्न करेगा। यदि अपील 180 दिनों के भीतर निराकरण

नहीं किया जाता है, तो अधिकरण को ऐसा न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

25. धारा 125 यह निर्धारित करती है कि अधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित व्यक्ति अधिकरण के निर्णय या आदेश की संसूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। धारा 125 का परंतुक इस न्यायालय को 60 दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत अपील पर विचार करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट हो कि प्रारंभिक 60 दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था। यह दर्शाता है कि धारा 111(2) और 125 के अधीन अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि, वाद आदि प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि से काफी भिन्न है। धारा 125 के परंतुक में "60 दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर" वाक्यांश का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि अपील प्रस्तुत करने की अधिकतम सीमा 120 दिन है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन यह न्यायालय अधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध 120 दिन के बाद प्रस्तुत अपील पर विचार कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. एक विशेष न्यायनिर्णयन मंच, यानी अधिकरण की स्थापना और धारा 111 एवं 125 के अधीन अपील के लिए विशेष परिसीमा निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संचालन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विवादों का विशेषज्ञ निकाय द्वारा शीघ्रता से निर्णय किया जाए और इस न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय या आदेश की चुनौती पर विचार न करे।

न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के संबंध में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन (धारा 145) भी इसी दिशा में एक संकेत है।

29. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3), जो कि विद्युत अधिनियम की धारा 125 के काफी समान है, की व्याख्या भारत संघ विरुद्ध पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी; (2001) 8 एससीसी 470 के प्रकरण में की गई थी। उस प्रकरण में विचाराधीन सटीक प्रश्न यह था कि क्या परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन किसी अधिनिर्णय को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू होते हैं। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मंगू राम विरुद्ध एम.सी.-डी., विद्याचरण शुक्ला विरुद्ध खूबचंद बघेल, हुकुमदेव नारायण यादव विरुद्ध ललित नारायण मिश्रा, तथा पटेल नारनभाई मघाभाई विरुद्ध धूलाभाई गालबाभाई के पूर्व निर्णयों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया: (पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी केस: (2001) 8 एससीसी 470, पृष्ठ क्रमांक 474-76, कण्डिकाएँ 12 और 16)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहाँ तक 1996 अधिनियम की धारा 34 की भाषा का प्रश्न है, उप-धारा (3) के परंतुक में प्रयुक्त शब्द परन्तु उसके बाद नहीं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारी राय में, यह वाक्यांश परिसीमन अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट अपवर्जन के समान होगा, और इसलिए उस अधिनियम की धारा 5 के लागू होने को वर्जित करेगा। संसद को इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह मानना कि न्यायालय परंतुक के अधीन विस्तारित अवधि के बाद भी अधिनिर्णय को अपास्त करने के आवेदन पर विचार कर सकता है, 'परन्तु उसके बाद नहीं' वाक्यांश को पू-

री तरह से निरर्थक बना देगा। व्याख्या का कोई भी सिद्धांत ऐसे परिणाम को न्यायसंगत नहीं ठहराएगा।

* *

*

16. इसके अतिरिक्त, धारा 34(1) स्वयं यह प्रावधान करती है कि किसी माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय की सहायता केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के आवेदन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उप-धारा (2) अधिनिर्णय को अपास्त करने के आधारों से संबंधित है और हमारे प्रयोजनों के लिए सुसंगत नहीं है। किंतु धारा 34 की उप-धारा (3) में उल्लिखित अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया आवेदन, उस उप-धारा के 'अनुसार' आवेदन नहीं माना जाएगा। फलस्वरूप, धारा 34(1) के आधार पर, किसी माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध निर्धारित अवधि के बाद न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। धारा 34 के अधीन निश्चित की गई अवधि के महत्व को धारा 36 के प्रावधानों द्वारा रेखांकित किया गया है, जो यह प्रावधान करते हैं कि:

> '36. प्रवर्तन— जहाँ धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है... वहाँ उस अधिनिर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह न्यायालय की डिक्री हो।'

यह माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के प्रावधानों से एक महत्वपूर्ण विचलन है। 1940 के अधिनियम के अधीन, अधिनिर्णय को अपास्त करने का समय समाप्त होने के बाद, न्यायालय के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह आवश्यक था कि वह 'अधिनिर्णय के अनुसार निर्णय उद्घोषित करने के लिए आगे बढ़े, और उद्घोषित निर्णय के आधार पर एक डिक्री तैयार की जाएगी' (धारा 17)। अब 1996 के अधिनियम की धारा 34 के अधीन समय समाप्त होने का परिणाम यह है कि अधिनिर्णय, न्यायालय के किसी भी अग्रिम कार्य के बिना, तुरंत प्रवर्तनीय हो जाता है। यदि धारा 34 में प्रयुक्त भाषा की व्याख्या पर कोई थोड़ा भी संदेह शेष था, तो 1996 के अधिनियम की रूपरेखा, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के संचालन को अपवर्जित करके, न्यायालय की शक्तियों में कटौती के पक्ष में इस विवाद्यक का समाधान कर देगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(विशेष बल दिया गया)

32. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विद्युत अधिनियम की धारा 125 और उसके परंतुक में निर्दिष्ट 120 दिन की अवधि के बाद, अधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार करने के लिए इस न्यायालय द्वारा परिसीमन अधिनियम की धारा 5 का सहारा नहीं लिया जा सकता है। विद्युत अधिनियम की धारा 125 की कोई भी ऐसी व्याख्या जो परिसीमन अधिनियम की धारा 29(2) के सहपठित उसकी धारा 5 की प्रयोज्यता को आकृष्ट करती हो, इस विधान के उद्देश्य को विफल कर देगी, जिसका अर्थ अधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए विशेष परिसीमन प्रदान करना है, और ऐसा होने पर धारा 125 का परंतुक निरर्थक हो जाएगा।"

9. उपरोक्त निर्देशों का अवलंब लेते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **"छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य विरुद्घ श्रीमती ओमलता अग्रवाल"**,प्रथम अपील विविध क्रमांक 09/2024 में निर्णय दिनांक 03.09.2024, के प्रकरण के कण्डिका 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> **"**16. .....वर्तमान अपील 12.03.2024 को प्रस्तुत की गई है, जो 17.04.2023 के अधिनिर्णय की तिथि से 120 दिन की अवधि के बाद है। अतः, परंतुक को दृष्टिगत रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अपील बिना किसी युक्तियुक्त एवं न्याय-संगत स्पष्टीकरण के 120 दिन के बाद प्रस्तुत की गई है, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई भी अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय के पास ऐसे विलंब को क्षमा करने की कोई शक्ति नहीं है।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त संदर्भित प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 74 के अधीन निर्धारित अवधि के काफी समय बाद प्रस्तुत की गई यह अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है, एवं फलस्व-रूप, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
(संजय एस.अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त का-

र्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur